न्यायालय, उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

एस0ए0आर0 अपील वाद सं0– 08/2011--12

मोबिन उरांव वगै0
बनाम
भानो खड़िया वगै0

आदेश

अपीलार्थी मोबिन उरांव वगैरह पिता – स्व0 सकरा उरांव ग्राम -- आंवराबहार थाना – ठेठईटांगर, जिला – सिमडेगा ने अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा के एस0ए0आर0 वाद संख्या 35/ 2010 में दिनांक 23.09.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध में यह अपील दायर किया है।

इस अपील वाद की विवादित भूमि मौजा अवराबहार के खाता नं0 110 प्लॉट नं0 2287 एवं अन्य प्लॉट कुल रकबा 10.02 एकड़ भूमि से संबंधित है।

अनुमण्डल पदाधिकारी ने विवादित भूमि को आवेदक भानो खड़िया, पिता – लोरो खड़िया वो0 कुंवर खड़िया पिता -- स्व0 हाबिल खड़िया मौजा आंवराबहार को एस0ए0आर0 प्रावधान के तहत् भूमि वापसी किया है।

विपक्षी का सबूती कागजात सादा विक्री पट्टा है, जिसे अमान्य करार किया गया अंचल अधिकारी के प्रतिवेदनानुसार पंजी II के रैयत हाबिल खड़िया वो0 भानो खड़िया पेसरान लोरो खड़िया है।

विपक्षी का लगभग 40 वर्षों 1970 से कब्जा प्रतिवेदित किया गया है।
इस अपीलवाद की कार्यवाही दिनांक 17.11.2011 को प्रारम्भ की गई। उभय पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए कारणपृक्षा की मांग की गई।

उभय पक्ष अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुए। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं का बहस को सुना।

प्रश्नगत वाद में उत्तरवादी की तरफ से दिनांक 21.01.2021 को प्रतिस्थापन हेतु आवेदन समर्पित किया गया है तथा अनुरोध किया गया है कि उत्तरवादी में से एक भानो खड़िया की मृत्यु दिनांक 14.12.2019 को हो गई है अतः उनके दोनो पुत्रों इलियाजर खड़िया एवं धर्मदास खड़िया को पक्षकार बनाया जाय। भानो खड़िया का मृत्यु प्रमाण पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया है।

आवेदन को स्वीकृत करते हुए भानो खड़िया के पुत्र इलियाजर खड़िया एवं धर्मदास खड़िया को पक्षकार (उत्तरवादी) बनाया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष में वहस के द्वारा एवं लिखित रूप से निम्न बातें रखी गई है

उत्तरवादी द्वारा विषयांकित भूमि की भू–वापसी हेतु CNT Act की धारा 71A के तहत अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय में मामला दायर किया गया था जो अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय में एस0ए0आर0 वाद संख्या 35/ 2010 के रूप

में संधारित किया गया तथा 23.09.2011 को उत्तरवादी के पक्ष में भू–वापसी का आदेश पारित किया गया था।

विषयांकित भूमि का खतियानी रैयत लोदो खड़िया पिता – चामा खड़िया है। स्व0 लोदो खड़िया के दो पुत्र है हाबिल खड़िया एवं भानो खड़िया। हाबिल खड़िया की मृत्यु हो गई है उनके एक मात्र पुत्र कुंवर खड़िया है जो इस वाद के एक उत्तरवादी है।

खतियानी रैयत लोदो खड़िया के दोनो पुत्र हाबिल खडिया एवं भानो खड़िया के द्वारा बिषयांकित भूमि का 19.01.1976 को शुक्रा गोंझू उरांव पे0 बिरा गोंझू उरांव को 3000/– (तीन हजार) रूपये लेकर विक्री का सादा एकरारनामा किया गया है।

शुक्रा गोंझू उरांव 1970 से ही भूमि पर काबिज रहे है।

हाबिल खड़िया एंव भानो खड़िया वादगत् भूमि को बेचकर सम्बलपुर (उड़ीसा) के किसी गांव में भूमि क्रय कर स्थाई रूप से बस गये, जहां हाबिल उरांव की मृत्यु हो गई।

वादगत् भूमि की विक्री के पश्चात् भी हाबिल खड़िया एवं भानो खड़िया कई बार ग्राम आंवराबहार आये एवं पैसा प्राप्त किये।

शुक्रा उरावं मृत्यु के पश्चात् अपने पीछे पुत्र के रूप में मोबिन उरांव, महाबीर उरांव, पाटु उरांव एवं शोभा उरावं को छोड़ गये जो इस वाद में अपीलार्थी है।

अंचल अधिकारी ठेठईटांगर द्वारा 11.01.2011 को अनुमण्डल पदाधिकारी सिमडेगा को प्रतिवेदित किया गया कि उत्तरवादी वादगत् भूमि पर 1970 अर्थात् 40 वर्ष से दखलकार है।

अनुमण्डल पदाधिकारी न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में 40 वर्ष के दखल की अनदेखी की गई है जो कालबाधित है।

अतः प्रार्थना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाय।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष में बहस के माध्यम एवं लिखित रूप से निम्न बातें रखी गई

उत्तरवादी विषयांकित भूमि के खतियानी रैयत लोदो खड़िया पिता – चामा खड़िया के वंशज है।

विषयांकित भूमि का पंजी **II** हाबिल खड़िया वो0 भानो खड़िया, पिता लोदो खड़िया के नाम से संधारित है तथा लगान रसीद निर्गत होता है।

अपीलार्थी द्वारा विषयांकित भूमि को 19.01.1976 को खतियानी रैयत के पुत्रों से 3000.00 रूपये के भुगतान पर सादा पट्टा के माध्यम से हासिल करने का दावा किया गया है जो गलत एवं फर्जी है। साथ ही 100 रूपये से अधिक के अचल संम्पति के हस्तांतरित हेतु निबंधन आवश्यक शर्त होता है जिसका उल्लंघन किया गया है इसलिए सादा पट्टा को भूमि हस्तानान्तरण का वैध दस्तावेज नही माना जा सकता है।

अंचल अधिकारी द्वारा भूमि पर अपीलार्थी को 1970 से दखल का कोई तार्किक अधार भी नही है।

भूमि के हस्तानान्तरण में CNT Act की धारा 46 एवं Registration एक्ट के प्रावधान का भी उल्लंघन किया गया है।

(17)

अतः अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय द्वारा एस0ए0आर0 वाद संख्या 35/ 2010 में पारित आदेश विधि संवत् है। न्यायालय से प्रार्थना है कि अपील आवेदन को स्थगित किया जाय।

उभय पक्ष के वहस सुनने एवं लिखित तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि विषयांकित भूमि के हस्तानान्तरण में CNT Act की धारा 46 का उल्लंघन किया गया है।

अतः अपील आवेदन को खारिज करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा एस0ए0आर0 वाद संख्या 35/ 2010 में पारित आदेश को यथावत् रखा जाता है।

03.02.21
उपायुक्त,
सिमडेगा।

लेखापित एवं संशोधित

03.02.21
उपायुक्त,
सिमडेगा।

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2021.12.17 11:42:34 +05:30
Location: 192.168.0.115